दिनांक 19.12.2023 को माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर, माननीय अध्यक्ष – उपस्थित।
2. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य – उपस्थित।
3. श्री शशि शेखर शर्मा, माननीय सदस्य – उपस्थित।

विचारणीय विषय/एजेन्डाः-

1. पूर्व की बैठक में लिए गये निर्णय की सम्पुष्टि।
2. वर्ष–2024 के लिए बिहार मानवाधिकार आयोग के अवकाश।
3. Guildeline Governing the Medical Claim of the Hon'ble Judges (Sitting and Former) of Patna High Court के आलोक में आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित दावों के निस्तारण हेतु **Advisory Committtee** का गठन।
4. बिहार मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिनांक–02.12.2021 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वाहन संख्या–BR01AD0006 (Honda City) को पुनः निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग के साथ सम्बद्ध करना।
5. बिहार मानवाधिकार आयोग **के अध्यक्ष/पूर्व अध्यक्ष** द्वारा लिये गये निर्णय/अनुमोदित प्रस्ताव की कार्यालय द्वारा Suo-motto समीक्षा किया जाना।
6. बिहार मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष/माननीय सदस्य तथा आयोग के पदाधिकारियों की समय–समय पर विभिन्न जिलों में थाना/अस्पतालों/कारा/घटनास्थलों पर जॉच के लिए आने जाने हेतु एक वाहन का क्रय करने तथा जबतक वाहन क्रय नहीं हो जाता है, तबतक किराया पर एक वाहन उपलब्ध कराना।
7. माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट (प्रिंस कुमार मिश्रा बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का पक्ष रखने हेतु एक वरीय अधिवक्ता की नियुक्ति।
8. आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों के कार्यालय कक्ष में उपयोग हेतु थरमस (हॉट पॉट), इलेक्ट्रिक केतली, नेपकिन स्टैण्ड, नेपकिन की तत्काल आपूर्त्ति करना।

निर्णय :-

1. आयोग की पूर्व बैठक के निर्णय को सम्पुष्ट की जाती है।
2. वर्ष 2024 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए कार्यकारी आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित सामान्य अवकाश (सार्वजनिक एवं प्रतिबंधित) के अतिरिक्त वर्ष 2024 को निम्न तिथियों को आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यगण, कार्यालय/प्रशासनिक कार्य करेंगे तथा निम्नलिखित तिथियों को माननीय न्यायपीठों द्वारा न्यायिक कार्य नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में आयोग के स्तर से मुद्रित होने वाले सभी अभिलेखों में यथास्थान अंकित कर दिया जाय।

माह जनवरी	01.01.2024 (सोमवार)
माह मार्च	25.03.2024(सोमवार), 28.03.2024 (गुरुवार)
माह अप्रैल	15.04.2024 (सोमवार), 18.04.2024 (गुरुवार), 19.04.2024 (शुक्रवार), 22.04.2024 (सोमवार)
माह मई	20.05.2024 (सोमवार), 21.05.2024 (मंगलवार), 22.05.2024 (बुधवार), 24.05.2024 (शुक्रवार)
माह जून	10.06.2024 (सोमवार), 11.06.2024 (मंगलवार), 12.06.2024 (बुधवार), 13.06.2024 (गुरुवार), 14.06.2024 (शुक्रवार), 18.06.2024 (मंगलवार)
माह अगस्त	16.08.2024 (शुक्रवार)
माह अक्टूबर	07.10.2024 (सोमवार), 08.10.2024 (मंगलवार), 09.10.2024 (बुधवार) एवं 14.10.2024 (सोमवार), 15.10.2024 (मंगलवार), 16.10.2024 (बुधवार)
माह नवम्बर	01.11.2024 (शुक्रवार) 04.11.2024 (सोमवार), 05.11.2024 (मंगलवार), 06.11.2024 (बुधवार), 15.11.2024 (शुक्रवार)
माह दिसम्बर	23.12.2024 (सोमवार), 24.12.2024 (मंगलवार), 26.12.2024 (गुरुवार), 27.12.2024 (शुक्रवार) एवं 30.12.2024 (सोमवार), 31.12.2024 (मंगलवार)

3. आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से सम्बन्धित दावे का निस्तारण **Guidelines Governing The Medical Claims of The Hon'ble Judges (Sitting and Former) of Patna High Court** के आलोक में किया जाय।

उपरोक्त Guideline के आलोक में आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से सम्बन्धित दावे के निस्तारण हेतु एक Advisory Committee का निम्नरूपेण गठन किया जाता हैः-

1. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य - अध्यक्ष।
2. श्री अमित कुमार जैन (भा0पु0से0), अपर पुलिस महानिदेशक - सदस्य।
3. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निबंधक - सदस्य।

Guideline के आलोक में श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य के स्वयं व उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से सम्बन्धित दावों के निस्तारण हेतु श्री दुबे, माननीय सदस्य के स्थान पर, श्री अमित कुमार जैन, अपर पुलिस महानिदेशक, कमिटी की अध्यक्षता करेंगे तथा Advisory Committtee के अन्य सदस्य यथावत् रहेंगे।

Guideline में जो शक्तियाँ माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के सम्बन्ध में वर्णित है, आयोग के स्तर से उन शक्तियों का प्रयोग माननीय अध्यक्ष के स्तर से किया जायेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों के स्वयं या उनके परिवार के चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से संबंधित दावों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाय।

4. बिहार मानवाधिकार आयोग के वाहन संख्या-BR01AD0006 (Honda City) को निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग के साथ तत्काल प्रभाव से सम्बद्ध किया जाय।

5. आयोग के तत्त्कालीन अध्यक्ष द्वारा किसी मामले में लिए गये निर्णय/अनुमोदित प्रस्ताव की आयोग के सचिवालय के स्तर से Suo Motto समीक्षा किए जाने की कार्रवाई को, नियमविरूद्ध, अनुशासनहीनता तथा अनधीनता का कार्य पाकर ऐसी कार्रवाईयों पर गहरी आपत्ति प्रकट की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि ऐसी समस्त कार्रवाई तथा उस कार्रवाई पर निर्गत सभी कार्यालय आदेशों को तत्काल प्रभाव से **निरस्त** किया जाता है। यह भी निर्णय लिया गया कि तत्त्कालीन माननीय अध्यक्ष के द्वारा लिए गये निर्णय/अनुमोदित प्रस्ताव की आयोग के सचिवालय द्वारा Suo Motto समीक्षा, बिना आयोग के अनुमति से, नहीं की जाय। भविष्य में उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति होने पर दोषी पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरूद्ध आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जायेगी। आयोग के समस्त कोषांग को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

6. आयोग के माननीय अध्यक्ष/माननीय सदस्य तथा आयोग के पदाधिकारियों के संबंध में समय-समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित थाना/अस्पतालों/काराओं/घटनास्थलों/विभिन्न विभागों की जॉंच के लिए आने-जाने हेतु एक वाहन (Innova Crysta) के क्रय करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाय तथा जब तक वाहन का क्रय नहीं हो जाता है तब तक किराया पर एक वाहन उपलब्ध कराया जाय।

7. माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (प्रिंस कुमार मिश्रा बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य) में बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना (प्रतिवादी सं0-04,05,06) की ओर से पक्ष रखने हेतु विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना से अनुरोध किया जाय तथा आयोग के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस निमित्त विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना के निर्धारित शुल्क/फीस का वहन आयोग के स्तर से किया जायेगा।

8. आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों के कार्यालय कक्ष में उपयोग हेतु थरमस (हॉट पॉट), इलेक्ट्रिक केतली, नेपकिन स्टैण्ड, नेपकिन वगैरह को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही साथ सम्बन्धित कोषांग से निर्गत मांग पत्र के अनुपालन में शीघ्रताशीघ्र वांछित सामानों की आपूर्त्ति सुनिश्चित किया जाय।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

	-ह0-	-ह0-
(श्री शशि शेखर शर्मा)	(श्री उज्जवल कुमार दुबे)	(न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर)
माननीय सदस्य	माननीय सदस्य	माननीय अध्यक्ष

ज्ञापांकः बी0एच0आर0सी0 / स्था0– 26 / 2013 530 पटना, दिनांक 12/1/2024

प्रतिलिपिः माननीय अध्यक्ष कोषांग / माननीय सदस्यगण कोषांग / सचिव कोषांग / अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग / निबंधक कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव / अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना) / प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा एवं आपूर्ति) / प्रशाखा पदाधिकारी (परिवाद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सुश्री सुप्रिया कुमारी, आई0 प्रबंधक, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

12/1/2024
संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना।